

फर्द अहकाम

आज्यालय न्यायालय न्यायालय न्यायालय
जमशेदपुर जमशेदपुर

बनाम

कदमा संख्या / वर्ष

/ 20

0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/11/21	पत्रावली आज्ञा उद्देशानुसार ग्रीष्म के वर्ष क्रियमाण 2021 के मध्य भाग में तुलसीदास के पेश हुई। वकील जवाब की तलवी हेतु कनिष्ठ अफसर द्वारा आज्ञा है पत्रावली का तलवी हेतु दिनांक 23/11/21 को पेश हो।	
	23/11/21	पत्रावली पेश हुई। PO सा. 21/..... अफसर को जवाब में तलवी हेतु जनरल डेट के अन्तर्गत पत्रावली दिनांक 10/2/22 को पेश हो।	
	10/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील जवाब अफसर की तलवी जवाब में तलवी हेतु कनिष्ठ अफसर की तलवी हेतु दिनांक 19.4.22 को पेश हो।	
	19/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील जवाब अफसर पत्रावली पेश करने तलवी/जवाब दिनांक 27/6/22 को पेश हो।	
	27/6/22	पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त सब द्वारा अफसर को जवाब में तलवी हेतु दिनांक 27/6/22 को पेश हो।	
	5/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील जवाब अफसर को जवाब में तलवी हेतु कनिष्ठ अफसर की तलवी हेतु दिनांक 19.4.22 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक जज के कार्यालय जमवारा मगद
 बनाम श्रीमती लखमा
 मुकदमा संख्या/वर्ष 39/2018 / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>मगवारा मगद तब कानूनी कार जजपालक सभ सभाली पर पुत्र: आवाज मगवारा मगद अशक्त श्री मनीष शर्मा व श्री उषा चर्ची आदि/ अश. मनीष शर्मा/ शर्मा की कठुपस्थान में शर्मा की शर्मा पर कानूनी विवेचना (२१२) कपद हाजरी कदम लेली है। खारिज की जाते है फावली फैसल सुना हैके कयल से फावले</p>

कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 जमवारा मगद जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारा मगद
 प्रार्थना पत्र संख्या 39/2018
 नाथूलाल व अन्य बनाम
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4
 एवं धारा 5 मर्यादा अधिनियम
 श्रीमान जी,

- प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है :-
- 1 यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीम विचाराधीन है।
 - 2 यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अप्राप्त पुत्र लखमा की मृत्यु दिनांक 27-5-2018 जिसके विधिक वारिसान् निम्न प्रकार है:-
 - 3/1 मनोहर पुत्र स्व० रामेश्वर
 - 3/2 सूरज पुत्र स्व० रामेश्वर
 - 3/3 बादामी देवी पत्नि स्व० रामेश्वर
 - 3/4 रामदेई पुत्री स्व० रामेश्वर
 - 3/5 ममता पुत्री स्व० रामेश्वर
 - 3/6 चन्दा पुत्री स्व० रामेश्वर
- समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम जमवारा मगद जिला जयपुर हाल निवासी 17/ पार नई दिल्ली।
- 3 यह कि उक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी होने के कारण उसके नाम के आगे दौराने दर्ज किया जाना एवं उनके उक्त वारिस संख्या 3/1 से 3/6 प्रतिस्थापित किया
 - 4 यह कि उक्त प्रकरण में मृतक अप्रार्थी स लखमा के फौत होने की जानकारी मिल द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प नांगलतुलसी पत्र मृतक रामेश्वर के वारिसान् को रिक्त में पेश कर दिया गया था परन्तु गत तारी

नाथूलाल